HISTORY, B.A. PART I, PAPER I

The Gupta Administration (गुप्त-प्रशासन)

गुप्तकालीन शासन व्यवस्था पर समकालीन अभिलेखों एवं साहित्यिक स्रोतों से विस्तृत प्रकाश पड़ता है। विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि गुप्त शासकों ने अपने विशाल साम्राज्य में अत्यन्त सुदृढ़ शासन की स्थापना करके अपनी विजयों को स्थायी बना दिया था। गुप्त राजाओं ने अपने पूर्वगामी शासकों के शासन प्रबन्ध को अपनाते हुए उसमें कुछ आवश्यक परिवर्तन कर समयानुकूल बनाया।

केन्द्रीय शासन (Central Government)

केन्द्रीय शासन के प्रमुख अंग निम्नलिखित थे-

(i) **सम्राट**:- गुप्तकाल में राजतन्त्रात्मक शासन-प्रणाली कार्यरत थी, अतः राजा ही प्रत्येक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी का होता था। गुप्तकाल में राजा को देवतुल्य तथा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि स्वीकार किया जाता था। राजा युद्धों में सेना का संचालन करता था तथा अमात्यों एवं मंत्रियों की सहायता से शासन करता था। राजा उच्च अधिकारियों की नियुक्ति में काफी सतर्कता बरतते थे। गुप्त शासक शास्त्रों द्वारा निर्देशित मार्ग का अनुसरण करने वाले लोकोपकारी शासक थे।

(ii) **मंत्रिपरिषद**:- राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसके सदस्यों को अमात्य, सचिव अथवा मंत्री कहा जाता था। मंत्रियों की नियुक्ति राजा ही करता था तथा इस पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जो मेधावान, स्मृतिवान, सत्यवादी, अभिजातकुलीय, मधुर स्वभाव वाले एवं उदार हों। मन्त्रियों का पद प्रायः वंशानुगत होता था। मंत्रिपरिषद के परामर्श को स्वीकार करने के लिए राजा बाध्य न था किन्तु प्रायः राजा उसकी परामर्श पर ही कार्य करता था।

(iii) **केन्द्रीय कर्मचारी**:- गुप्त शासन प्रणाली में नौकरशाही का विशेष महत्व था। केन्द्रीय शासन विभिन्न विभागों द्वारा संचालित होता था, जिनके अध्यक्ष उच्च पदाधिकारी होते थे। गुप्तकाल में कुमारामात्य नामक एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। डा० अल्तेकर के अनुसार कुमारामात्य आधुनिक I.A.S. अधिकारियों के समान अधिकारियों का सर्वश्रेष्ठ वर्ग था। कर्मचारियों को वेतन प्रायः नकद दिया जाता था। कुछ कर्मचारियों को भूमि के रूप में भी वेतन मिलता था।

(iv) **सैन्य संगठन**:- गुप्त शासकों ने सैन्य शक्ति के आधार पर ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, अतः वे सैन्य विभाग के महत्व से भली भाँति परिचित थे। राजा सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था तथा युद्ध में सेनापति के रूप में सेना का संचालन एवं नेतृत्व करता था। राजा के अधिक वृद्ध होने पर युवराज सेना का संचालन

Scanned with CamScanner

करता था। राजा के पश्चात् सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति होता था, जिसे महादण्डनायक भी कहा जाता था। सेना के चार अंग हस्ति, अश्व, रथ व पदाति होते थे। गुप्त काल में रथसेना का विशेष महत्व नहीं रह गया था। हस्तिसेना के अध्यक्ष को महापीलुपति एवं अश्वसेना के अध्यक्ष को महाश्वपति कहते थे। गुप्त युग की सेना की एक विशेषता अश्वसेना में अश्वारोही धनुर्धरों का होना था। गुप्तकाल में नौसेना भी विद्यमान थी। युद्धों के समय गुप्तों के सामन्त भी सैनिक सहायता प्रदान करते थे।

(v) पुलिस विभाग :- देश में आन्तरिक शान्ति एवं सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग था। इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी "दण्डपाशिक" होता था। पुलिस की सहायतार्थ गुप्तचर होते थे। गुप्तकाल में सामान्यतः पुलिस विभाग अत्यंत सक्षम था क्योंकि फाह्यान ने लिखा है कि भारत में अपराध बहुत कम होते थे।

(vi) आय-व्यय के साधन :- राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। उपज का जो हिस्सा राजा को दिया जाता था, उसे भाग कहते हैं, जो कुल उपज का 1/6 भाग होता था। ग्रामवासियों को मौसमी फल-फूल एवं ईंधन आदि पर भी 'भाग कर' देना होता था। व्यापारियों से सीमा पर लिये जाने वाले कर को "शुल्क" तथा वनों से होने वाली आय को "गुल्म" कहते थे। कारीगरों से उपयोग कर लिया जाता था। माल-तौल पर राजकीय मुहर लगवाने के लिए प्रतिवैधानिक कर देना पड़ता था। अपराध करने वालों से 'अर्थदण्ड' लिया जाता था, किन्तु अपराध कम होने के कारण यह 'कर' कम ही प्राप्त होता था। इस प्रकार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धन प्रमुखतया जन कल्याण एवं सार्वजनिक हितों पर खर्च किया जाता था। ~~इसके अतिरिक्त विविध एवं~~

(vii) न्याय एवं दण्ड व्यवस्था :- गुप्तकालीन न्याय एवं ~~दण्ड~~ व्यवस्था अत्यन्त व्यवस्थित और सुसंगठित थी। न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। न्यायालय को न्यायाधिकरण कहा जाता था। स्मृतियों से ज्ञात होता है कि गुप्तकाल में न्यायालयों की चार श्रेणियाँ कुल, श्रेणी, पुग एवं राजा का न्यायालय था। राजा का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होता था। न्यायालयों में गवाही एवं प्रमाण का महत्व था। उपरोक्त न्यायालयों के अतिरिक्त पंचायतें भी न्याय का कार्य करती थीं।

चीनी यात्री फाह्यान के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्तकाल में दण्ड व्यवस्था कठोर नहीं थी। फाह्यान के अनुसार अंग-भंग या मृत्युदण्ड नहीं दिया जाता था केवल अपराध की गुरुता के अनुरूप अर्थदण्ड दिया जाता था।

→

Scanned with CamScanner

प्रान्तीय प्रशासन (Provincial Administration)

प्रान्तीय प्रशासन के प्रमुख अंग निम्नवत थे—

(i) भुक्ति :- गुप्त साम्राज्य अत्यंत विशाल था। अतः राजा के राजधानी में रहते हुए यह सम्भव न था कि वह सुचारु रूप से प्रशासनिक कार्य कर सकता। इसलिए प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से गुप्त साम्राज्य को अनेक प्रान्तों में विभक्त किया गया। प्रत्येक प्रान्त को भुक्ति, देश, भोग आदि कहा जाता था। गुप्त युग में उल्लेखनीय भुक्ति मगध, वर्द्धमान, पुण्ड्रवर्द्धन, तीरभुक्ति, पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा एवं सौराष्ट्र थी। प्रत्येक भुक्ति आधुनिक मण्डल के समान होती थी। प्रत्येक भुक्ति के सर्वोच्च अधिकारी को 'उपरिक' कहते थे। प्रत्येक उपरिक के अधीन कई कर्मचारी होते थे, जिनकी नियुक्ति वह स्वयं करता था।

(ii) विषय :- प्रत्येक भुक्ति अनेक विषयों में विभक्त था। विषय आधुनिक जनपद के समान होता था। विषय का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति कहलाता था। विषयपति की नियुक्ति उपरिक द्वारा होती थी। प्रशासन में विषयपति के सहायतार्थ एक समिति होती थी जिसमें चार सदस्य नगर श्रेष्ठि, सार्थवाह, प्रथम कुलिक एवं प्रथम कायस्थ होते थे। इनके अतिरिक्त तीन पुस्तपाल होते थे जो सभी विषयों का लेखा-जोखा रखते थे।

(iii) नगर प्रशासन :- प्रत्येक विषय के अंतर्गत अनेक नगर होते थे। नगर का अधिकारी नगरपति होता था। नगर की व्यवस्था के लिए एक परिषद होती थी जो आधुनिक नगरपालिका के समान थी। इस परिषद का कार्य नगर में शांति स्थापना, सभा गृह, सरोवर, मंदिर बनवाना तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों को करना था।

(iv) ग्राम प्रशासन :- प्रशासन की न्यूनतम इकाई ग्राम थी। प्रत्येक नगर अनेक ग्रामों में विभक्त था। प्रत्येक ग्राम का अधिकारी मुखिया, ग्रामिक, महत्तर आदि कहलाता था। ग्रामिक की सहायतार्थ एक समिति होती थी जिसे ग्राम सभा कहते थे। ग्राम सभा का प्रमुख कार्य मुकदमों का निर्णय, भूमि की सीमा का निर्धारण, सार्वजनिक हित के कार्य, कृषि और सिंचाई की उचित व्यवस्था करना था।

निष्कर्ष :- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि गुप्त शासकों ने अत्यंत उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था को कार्यान्वित कर अपने विशाल साम्राज्य पर सुचारु रूप से शासन किया। जनता धनी और समृद्ध थी। सरकार ने जो शक्ति और समृद्धि स्थापित की वह कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञान के साथ आश्चर्यजनक विकास का कारण बनी। अतएव गुप्तकालीन शासन प्रणाली तथा उसकी उपलब्धियों के ~~विषय में~~ आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह केन्द्र एवं प्रांत दोनों में अत्यन्त सुव्यवस्थित थी।

हालांकि गुप्त शासन व्यवस्था के सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित होने के साथ ही उसमें कुछ ऐसे दोष थे जो गुप्तों के पतन के लिए उत्तरदायी ~~थे~~ बने। सामन्तीय व्यवस्था अपनाकर गुप्तों ने अपने पतन के बीज बो दिये। सामन्तीय राज्यों की उपस्थिति ने अन्ततः केन्द्रीय शक्ति को विकेन्द्रित करने में सहायक बन कर गुप्त साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई।

S. [illegible]
13.5.20

Scanned with CamScanner